रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072024-255936
CG-DL-E-31072024-255936

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 419]	नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 30, 2024/श्रावण 8, 1946
No. 419]	NEW DELHI, TUESDAY, JULY 30, 2024/SHRAVANA 8, 1946

वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 458(अ).— चूंकि अधिसूचना जीएसआर 445(अ), दिनांक 29 मार्च, 2016 द्वारा, केंद्र सरकार ने पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार के माध्यम से देश में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान करने के लिए निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को अधिसूचित किया था;

और जबकि, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, पुनर्चक्रण, उपचार और निपटान को शामिल करते हुए इसके पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन करने, अवैज्ञानिक निपटान को हतोत्साहित करने, वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने, अंतर्निहित पुनर्चक्रणीय मूल्य की हानि को रोकने, और अपशिष्ट के डंपिंग से उत्पन्न वायु और जल प्रदूषण संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया गया था;

और जबकि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कार्यान्वयन समीक्षा के माध्यम से नोट किया है कि मौजूदा विनियमों में अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट उपयोग और गैर-अनुपालन के लिए विशिष्ट उपायों को शामिल करके व्यापक संशोधन और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है, साथ ही विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, केंद्रीकृत इंटरफेस आधारित ऑनलाइन निगरानी और अनुपालन मूल्यांकन शुरू करके इन्हें चक्रीय अर्थव्यवस्था और संसाधन दक्षता दृष्टिकोण के साथ संरेखण की आवश्यकता है;

अब,अतः पर्यावरण (संरक्षण) नियम,1986 के नियम 5 के उप-नियम(3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,केन्द्र सरकार,साठ (60) दिनों की नोटिस अवधि के भीतर,आम जनता से **mishra.vp@gov.in** और **amit.vashishtha@nic.in** पर निम्नलिखित मसौदा अधिसूचना पर सुझाव या टिप्पणियां आमंत्रित करती है, जो निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को प्रतिस्थापित करेंगे, अर्थात-

अध्याय- I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों को निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये नियम **01 अप्रैल 2025** को प्रवृत्त होंगे ।

2. प्रयोज्यता -

(1) ये नियम किसी भी ढांचे के निर्माण, विध्वंस, पुनर्निर्माण, नवीनीकरण और मरम्मत की सभी गतिविधियों पर लागू होंगे।

(2) ये नियम निम्नलिखित के अंतर्गत आने वाले अपशिष्ट श्रेणियों या धाराओं पर लागू नहीं होंगे:

क. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम,2016,यथा संशोधित;

ख. संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम,2016;

ग. खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन नियम,2016,यथा संशोधित;

घ. परमाणु ऊर्जा अधिनियम,1962(1962 का 33) और उसके अधीन बनाए गए नियम;

ङ. रक्षा परियोजनाएं,तथा सामरिक प्रकृति की अन्य परियोजनाएं; और

च. अन्य विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व तंत्र के अंतर्गत शामिल अपशिष्ट।

3. परिभाषाएं. - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

क. **अधिनियम"** से पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम,1986(1986 का 29)अभिप्रेत है;

ख. **"अधिकृत एजेंसी"** का अर्थ है निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के संग्रह और/या परिवहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अधिकृत एजेंसी;

ग. **"निर्माण"** से संरचना, भवन, बुनियादी ढांचे और उपयोगिता परियोजनाओं जैसे आवासीय और कार्यालय परिसर, सड़क, राजमार्ग, औद्योगिक परिसर, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जल, अपशिष्ट जल, गैस, कच्चे तेल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, इलेक्ट्रिक केबल, दूरसंचार केबल और ऐसी अन्य परियोजनाओं के लिए पाइपलाइन बिछाने, बदलने, मरम्मत या पुनः निर्माण की प्रक्रिया अभिप्रेत है;

घ. **"निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट"** से निर्माण, विध्वंस, पुनःमॉडलिंग, मरम्मत, रखरखाव गतिविधियों के कारण उत्पन्न अपशिष्ट अभिप्रेत है, और इसमें मिट्टी, रेत और बजरी, ईंटें और चिनाई, कंक्रीट, धातु, लकड़ी, प्लास्टिक और ऐसी अन्य वस्तुएं शामिल हैं;

ङ. **"ठेकेदार"** से किसी व्यक्ति या संस्था से है जो वाणिज्यिक आधार पर निर्माण सेवाएं प्रदान करने में लगा हुआ अभिप्रेत है;

च. **"विध्वंस"** से किसी इमारत या संरचना या उसके किसी भाग को किसी भी तरह से तोड़ना, ढहाना, नष्ट करना या खत्म करना अभिप्रेत है;

छ. **"विकास प्राधिकरण"** से ऐसी एजेंसी अभिप्रेत है जो नगर नियोजन योजनाओं, क्षेत्र विकास योजनाओं, भवन निर्माण कानूनों को क्रियान्वित करती है, और शहरी क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार है, उपयोगिता सेवाओं और सुविधाओं सहित निर्माण, इंजीनियरिंग, विध्वंस जैसे आकस्मिक नागरिक कार्यों को विनियमित करती है;

ज. **"संग्रहण बिंदु"** से स्थानीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में निर्दिष्ट स्थानों से अभिप्रेत है, जहां उत्पादकों के अलावा अपशिष्ट उत्पादकों को पर्यावरण की दृष्टि से उचित तरीके से इसके प्रबंधन की सुविधा के लिए अपने निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को जमा करना आवश्यक है;

झ. **"विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व"** से किसी उत्पादक की निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन करने तथा अनुसूची-I के अनुसार पुनर्चक्रण लक्ष्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी से अभिप्रेत है, ताकि पर्यावरण की दृष्टि से इसका उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके;

ञ. **"दिशानिर्देश"** से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार और जारी किया गया एक दस्तावेज अभिप्रेत है, जिसमें निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के प्रबंधन, संग्रहण, परिवहन, भंडारण और प्रसंस्करण सहित पर्यावरण की दृष्टि से उचित प्रबंधन के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं, विशिष्ट उपायों और प्रक्रियाओं का विवरण दिया गया है;

ट. **"मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधा केंद्र"** से स्थानीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में एक स्थान अभिप्रेत है, जो प्राधिकरण या अधिकृत ऑपरेटर द्वारा संचालित होता है, जहां पर्यावरण की दृष्टि से उचित तरीके से इसके प्रबंधन की सुविधा के लिए निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को संग्रहीत किया जा सकता है;

ठ. **"विरासत अपशिष्ट"** से इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व स्थानीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में पड़े बेनाम और अनुपचारित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट से अभिप्रेत है;

ड. **"स्थानीय प्राधिकरण"** से राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्वच्छता से संबंधित कार्यों का निर्वहन करने के लिए सौंपी गई एजेंसी अभिप्रेत है, जिसमें निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन शामिल है, जिसके विभिन्न नाम हैं जैसे नगर निगम, नगर पालिका, महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद, ब्लॉक पंचायत, गांव पंचायत, ग्राम पंचायत, छावनी बोर्ड और अधिसूचित क्षेत्र समिति;

ढ. **"पोर्टल"** से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व और अपशिष्ट उपयोग संबंधी कार्य ढांचे के कार्यान्वयन, इन नियमों की निगरानी और प्रवर्तन, और निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट पर एकल बिंदु डेटा भंडार के रूप में कार्य करने के प्रयोजनों के लिए विकसित एक केंद्रीकृत ऑनलाइन इंटरफेस अभिप्रेत है;

ण. **"उत्पादक"** से 20000 वर्ग मीटर और उससे अधिक निर्मित क्षेत्र वाले भवन या भवन परिसर परियोजना के लिए पोर्टल पर पंजीकृत अपशिष्ट उत्पादक अभिप्रेत है;

त. **"पुनर्निर्माण"** से सभी निर्माण गतिविधियाँ अभिप्रेत है, जिनमें मौजूदा संरचना को ध्वस्त करने से पहले निर्माण, रीमॉडलिंग, मरम्मत और नवीनीकरण शामिल है;

थ. **"पुनर्चक्रणकर्ता"** से पोर्टल पर पंजीकृत इकाई अभिप्रेत है, जो मूल्य वर्धित उत्पादों के विनिर्माण या अन्यथा के लिए ऑन-साइट या ऑफसाइट प्रसंस्करण के माध्यम से निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट से पुन: प्रयोज्य सामग्री की रिकवरी में लगी हुई है;

द. **"प्रसंस्करण सुविधा"** से पुनर्चक्रक द्वारा संचालित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को संसाधिता करने के लिए अपेक्षित बुनियादी ढांचे से सुसज्जित एक निर्दिष्ट प्रतिष्ठान अभिप्रेत है, जो निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट से मूल्यवर्धित वस्तुओं या सामग्रियों कि प्राप्ति, भंडारण, पृथक्करण, उपचार और विनिर्माण जैसी प्रक्रियाओं को पूरा करता है;

ध. **"अनुसूची"** से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

न. **"सेवा प्रदाता"** से ऐसी संस्था या प्राधिकरण अभिप्रेत है जो जलापूर्ति, गैस पाइपलाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क, सीवरेज, बिजली, टेलीफोन, जल निकासी आदि जैसी नागरिक और उपयोगिता सेवाएं प्रदान करता है;

ऩ. **"मानक संचालन प्रक्रिया"** से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार और जारी किया गया एक दस्तावेज अभिप्रेत है जिसमें पर्यावरण की दृष्टि से सही तरीके से निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन करने के लिए अनुदेशों का एक सेट शामिल है, जिसमें उपकरणों, प्रक्रियाओं आदि की मानकीकृत और न्यूनतम आवश्यकता का विवरण दिया गया है;

प. **"लक्ष्य"** से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व और अपशिष्ट उपयोग संरचना के तहत संबंधित संस्थाओं के लिए अनिवार्य जिम्मेदारी के रूप में निर्धारित एक ठोस संख्या अभिप्रेत है, जो उत्पन्न निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट की मात्रा और उपयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री की सीमा के अनुरूप है;

फ. **"अपशिष्ट"** से इन नियमों के प्रयोजन के लिए निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट अभिप्रेत है, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो;

ब. **"अपशिष्ट उत्पादक" से** परियोजना के वह अधिभोगी अभिप्रेत है जिसका निर्माण या पुनर्निर्माण या विध्वंस गतिविधि पर पूर्ण नियंत्रण है जिसके परिणामस्वरूप अपशिष्ट उत्पन्न होता है;

भ. **"अपशिष्ट प्रबंधन योजना"** से अनुसूची-। के तहत निर्धारित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए उत्पादकों द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज़ अभिप्रेत है, जिसे स्थानीय प्राधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है;

म. **"अपशिष्ट उपयोग योजना"** से निर्माण और पुनर्निर्माण परियोजनाओं के अधिभोगियों द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज अभिप्रेत है, जिसे स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया हो, ताकि अनुसूची-॥ के तहत निर्धारित अपशिष्ट उपयोग लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रक्रमणित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का उपयोग किया जा सके।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए निर्दिष्ट हैं।

अध्याय-II

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी कार्य ढांचा

4. कवरेज. - (1) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दायित्व सभी उत्पादकों पर लागू होगा।

(2) **पंजीकरण. -** विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी कार्य ढांचे का कार्यान्वयन और निगरानी एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, और निम्नलिखित संस्थाएं पोर्टल पर पंजीकरण कराएंगी, अर्थात्: -

क. निर्माता;

ख. मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधा केंद्र का संचालक; और

ग. पुनर्चक्रणकर्ता ।

(3) पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य अनुसूची-I के अंतर्गत निर्दिष्ट किए गए हैं, और दायित्व को पूरा करने के लिए उत्पादक पूरी तरह उत्तरदायी होगा।

(4) स्व-स्थाने पुनर्चक्रण के मामले में, उत्पादक दोनों श्रेणियों में पंजीकरण करेगा और अपशिष्ट की संगत मात्रा के लिए अपशिष्ट उत्पादक के साथ-साथ पुनर्चक्रक की जिम्मेदारियों को पूरा करेगा।

(5) उपनियम (3) में निर्दिष्ट कोई भी इकाई पंजीकरण के बिना कारोबार नहीं करेगी।

(6) उप-नियम (3) के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाएं किसी भी अपंजीकृत संस्था के साथ लेन-देन नहीं करेंगी।

(7) जहां कोई पंजीकृत इकाई गलत सूचना प्रस्तुत करती है या पंजीकरण या विवरणी या रिपोर्ट या इस अध्याय के तहत प्रदान की जाने वाली या प्रस्तुत की जाने वाली सूचना को जानबूझकर छिपाती है या किसी अनियमितता के मामले में, ऐसी इकाई का पंजीकरण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सुनवाई का अवसर देने के बाद पांच साल की अवधि तक के लिए रद्द किया जा सकता है और इसके अतिरिक्त, नियम 17 के अनुसार उस ईकाई पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क भी लगाया जा सकता है।

(8) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पंजीकरण करवाने की इच्छुक संस्थाओं से उनके द्वारा उत्पन्न, पुनर्चक्रित या संचालित अपशिष्ट की मात्रा के आधार पर पंजीकरण और अनुरक्षण शुल्क ले सकता है।

(9) उप-नियम (7) के अनुसार सृजित कोष को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के बीच साठ से चालीस (60:40) के अनुपात में साझा किया जा सकेगा।

5. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी कार्य ढांचे के लिए तौर-तरीके –

(1) स्थानीय प्राधिकरण या विकास प्राधिकरण (कार्यान्वयन एजेंसी), जैसा भी मामला हो, संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा तय किए गए अनुसार पोर्टल के माध्यम से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी कार्य ढांचे को लागू करेगा।

(2) अनुसूची-। में निर्दिष्ट लक्ष्यों के अनुरूप किसी निर्माण, पुनर्निर्माण या विध्वंस परियोजना में अपशिष्ट प्रबंधन का दायित्व अपशिष्ट प्रबंधन योजना के माध्यम से विनियमित किया जाएगा, और कार्यान्वयन एजेंसी को मौजूदा परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया के साथ अपने अनुमोदन को एकीकृत करने की आवश्यकता होगी।

(3) अपशिष्ट प्रबंधन योजना में पुनर्निर्माण और विध्वंस परियोजना में सभी धाराओं से अपशिष्ट की मात्रा का आकलन किया जाएगा; तथापि, अपशिष्ट का केवल मलबा भाग अर्थात सीमेंट कंक्रीट, ईंटें, सीमेंट प्लास्टर, पत्थर, मलबा, टाइलें आदि को ही निर्धारित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्यों के अनुपालन का आकलन करने के लिए प्रलेखित किया जाएगा।

(4) लोहे, लकड़ी, प्लास्टिक, धातु और कांच जैसे अपशिष्ट के आसानी से पुनः बिक्री योग्य/पुनः उपयोग योग्य धाराओं को विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व अनुपालन का आकलन करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(5) जब तक पुनर्चक्रण सुविधा चालू नहीं हो जाती, स्थानीय प्राधिकरण या विकास प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, स्वयं या किसी प्राधिकृत ऑपरेटर के माध्यम से मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधा केंद्र स्थापित करेगा और उसका संचालन करेगा तथा उसे पोर्टल पर पंजीकृत करेगा।

(6) उत्पादक को अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दायित्व के रूप में अपना संपूर्ण (100%) अपशिष्ट सीधे प्रक्रमण सुविधा केंद्र में जमा करना होगा; तथापि, कार्यात्मक प्रक्रमण सुविधा के अभाव में, उत्पन्न संपूर्ण (100%) अपशिष्ट को मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधा केंद्र में जमा किया जाएगा।

(7) यदि उत्पादक स्व-स्थाने प्रसंस्करण कर रहा है, तो उसे अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दायित्व के रूप में बचे हुए संपूर्ण (100%) अपशिष्ट को प्रसंस्करण सुविधा केंद्र में जमा करना होगा।

(8) पंजीकृत संस्थाएं, कार्यान्वियन एजेंसी द्वारा सत्यापन के अधीन, वित्तीय वर्ष में उत्पन्न शेष अपशिष्ट सामग्री का मिलान करने के लिए, पोर्टल में अपशिष्ट उत्पादन, हैंडलिंग, भंडारण, पुनर्चक्रण और मूल्य वर्धित उत्पादों के संबंध में डेटा दर्ज करने के लिए जिम्मेदार होंगी।

(9) (i) सभी उत्पादकों को अपशिष्ट के निपटान के तरीके पर ध्यान दिए बिना पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों की ऑनलाइन खरीद के माध्यम से अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी दायित्वों को पूरा करना होगा;

(ii) उत्पादकों, पुनर्चक्रणकर्ताओं और मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधा केंद्र संचालकों द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरणों का पोर्टल के माध्यम से क्रॉस-सत्यापन किया जाएगा, और किसी भी विसंगति के मामले में, कम आंकड़े को उत्पादक द्वारा दायित्व की पूर्ति के रूप में माना जाएगा; तथा

(iii) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों की केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसी द्वारा लेखापरीक्षा की जाएगी।

(10) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों के लेन-देन से प्राप्त आय को कार्यान्वियन एजेंसी और पुनर्चक्रणकर्ता के बीच समान रूप से (50:50) बांटा जाएगा।

(11) कार्यान्वियन एजेंसी उल्लंघन और अनुपालन न करने के मामलों को संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आरोपण सहित प्रवर्तन कार्रवाई करने के लिए भेजेगी।

6. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र तैयार करना- (1) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, निर्धारित प्रारूप में पंजीकृत पुनर्चक्रक के पक्ष में पोर्टल के माध्यम से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र तैयार करेगा, जिसकी गणना नीचे दी गई तालिका के अनुसार की जाएगी -

सारणी

क्र. सं.	**पुनर्चक्रण का तरीका**	**प्रसंकरण मोड को आवंटित भार (WP)**
(1)	(2)	(3)
1.	स्व-स्थाने पुनर्चक्रण	1.2
2.	बाह्य-स्थाने पुनर्चक्रण	1

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सारणी के प्रयोजन के लिए

i. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र के सृजन के लिए पात्र अपशिष्ट की मात्रा की गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जाएगी:

***क्यू ईपीआर = क्यू पी x सी एफ x डब्ल्यू पी**

** **क्यू ईपीआर** प्रमाण पत्र के निर्माण के लिए पात्र मात्रा है,* **क्यू पी** *प्रसंस्कृत उत्पाद की मात्रा है और* **सी एफ** *रूपांतरण कारक (उत्पादन की एक इकाई के उत्पादन के लिए आवश्यक अपशिष्ट की मात्रा) है और* **डब्ल्यू पी** *प्रक्रमण मोड को आवंटित भार है।*

ii. रूपांतरण कारक **सी एफ** का निर्धारण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा, पुनर्चक्रणकर्ताओं के परामर्श से, प्रयुक्त प्रौद्योगिकियों और अन्य कारकों के आधार पर किया जाएगा;

iii. पुनर्चक्रण के एकाधिक अंतिम उत्पादों के मामले में, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र के सृजन के लिए रूपांतरण कारक का निर्धारण संचालन समिति के अनुमोदन से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा; और

iv. तकनीकी प्रगति, सामग्री की उपलब्धता और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा **डब्ल्यू पी** के भार की समीक्षा की जाएगी।

उदाहरण: यदि 100 टन प्रसंस्कृत अपशिष्ट उत्पाद का उत्पादन किया जाता है, और अंतिम उत्पाद रूपांतरण कारक 0.8 है, तो ऐसे रूपांतरण के लिए पात्र ईपीआर प्रमाणपत्र निम्नानुसार होगा:

स्व-स्थाने प्रसंसकरण- क्यू ईपीआर = 100 x 0.8 x 1.2 = 96 टन;

बाह्य-स्थाने प्रसंसकरण - क्यू ईपीआर = 100 x 0.8 x 1 = 80 टन;

(3) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र की वैधता उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन वर्ष तक होगी जिसमें इसे बनाया गया है, तथा वैधता अवधि समाप्त प्रमाणपत्र अपनी वैधता अवधि के पश्चात स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, जब तक कि इसे पहले ही परिवर्तित न कर दिया गया हो।

(4) प्रत्येक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र को एक विशिष्ट संख्या से पहचाना जाएगा, जो उसके उत्पादन वर्ष, पुनर्चक्रण कोड, अंतिम उत्पाद कोड और एक विशिष्ट कोड को दर्शाता है, और इसे 100, 200, 500 और 1000 टन के भार वर्गों में या जैसा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालन समिति के अनुमोदन से निर्धारित किया गया हो, जारी किया जाएगा।

7. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र का आदान-प्रदान - (1) कोई उत्पादक अपने चालू वर्ष (वर्ष वाई) के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दायित्व के अतिरिक्त पिछले वर्षों के किसी भी शेष दायित्व तथा चालू वर्ष के दायित्व के 10 प्रतिशत तक सीमित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र खरीद सकता है।

(2) जैसे ही उत्पादक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र खरीदता है, यह स्वचालित रूप से उसके दायित्व के विरुद्ध समायोजित हो जाएगा, जिसमें समायोजन में पूर्व दायित्व को प्राथमिकता दी जाएगी और इस प्रकार समायोजित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र स्वत: समाप्त और रद्द हो जाएगा।

(3) प्रत्येक उत्पादक और पुनर्चक्रक के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र की उपलब्धता, आवश्यकता और अन्य विवरण पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

(4) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी कार्य ढांचे के अंतर्गत सभी आदान-प्रदान संबंधी विवरण उत्पादकों और पुनर्चक्रकों द्वारा पोर्टल पर दर्ज और प्रस्तुत किए जाएंगे।

(5) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों के आदान-प्रदान या अंतरण के लिए एक आदेश द्वारा एक या एक से अधिक प्लेटफार्म स्थापित कर सकेगी।

(6) उप-नियम (5) के अधीन स्थापित प्लेटफार्म का संचालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुशंसा पर केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित और विनियमित किया जाएगा।

(7) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों के आदान-प्रदान के लिए उच्चतम और न्यूनतम मूल्य निर्धारित करेगा जो अनुसूची-I के अंतर्गत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दायित्व में उल्लिखित दायित्वों की पूर्ति न करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के क्रमशः सौ प्रतिशत और तीस प्रतिशत के बराबर होगा।

(8) पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत संस्थाओं के बीच विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र का विनिमय मूल्य उप-नियम (7) में निर्दिष्ट उच्चतम और निम्नतम मूल्यों के बीच होगा।

अध्याय - III

प्रक्रमणित अपशिष्ट का उपयोग

8. अपशिष्ट उपयोग संबंधी कार्य ढांचा. - (1) 20000 वर्ग मीटर और उससे अधिक के निर्मित क्षेत्र वाले सभी निर्माण गतिविधियों और सड़क निर्माण में प्रक्रमणित अपशिष्ट के उपयोग के लिए अधिदेश कार्यान्वित किया जाएगा।

(2) अपशिष्ट उपयोग संबंधी कार्य ढांचे को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा, जिसमें निर्माण या पुनर्निर्माण या सड़क निर्माण परियोजनाओं के पुनर्चक्रणकर्ताओं और अधिभोगियों का पंजीकरण अनिवार्य होगा।

(3) स्थानीय प्राधिकरण या विकास प्राधिकरण (कार्यान्वयन एजेंसी) संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा तय किए गए पोर्टल के माध्यम से निर्माण परियोजनाओं के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में अपशिष्ट उपयोग संबंधी कार्य ढांचे को कार्यान्वित करेगा।

(4) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पोर्टल के माध्यम से सड़क निर्माण गतिविधियों में अपशिष्ट उपयोग संबंधी कार्य ढांचे के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल होंगे जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।

(5) संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या जिला प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले राजमार्गों और सड़कों को शामिल करते हुए सड़क निर्माण गतिविधियों में पोर्टल के माध्यम से अपशिष्ट उपयोग संबंधी कार्य ढांचे के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी।

(5) निर्माण गतिविधियों और सड़क निर्माण में प्रक्रमणित अपशिष्ट का उपयोग करने का दायित्व क्रमशः अनुसूची-II और अनुसूची-III में निर्दिष्ट लक्ष्यों के अनुसार होगा।

(6) निर्माण गतिविधियों और सड़क निर्माण में अपशिष्ट का उपयोग करने का दायित्व अनुमोदित अपशिष्ट उपयोग योजना द्वारा विनियमित किया जाएगा, और कार्यान्वयन एजेंसी को मौजूदा परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया के साथ अपने अनुमोदन को एकीकृत करने की आवश्यकता होगी।

(7) अपशिष्ट उपयोग संबंधी कार्य ढांचे के अनुपालन में उपयोग के लिए प्रक्रमणित अपशिष्ट की मात्रा का मूल्यांकन, लकड़ी, लोहा, धातु, प्लास्टिक, कांच आदि की आवश्यकता को छोड़कर, वजन या आयतन के अनुसार कुल शुद्ध या नई निर्माण सामग्री की आवश्यकता के प्रतिशत के रूप में गणना की जाएगी।

(8) केवल मलबे से उत्पन्न प्रक्रमणित अपशिष्ट अर्थात सीमेंट कंक्रीट, ईंट, सीमेंट प्लास्टर, पत्थर, मलबे, टाइल आदि से उत्पन्न अपशिष्ट को ही निर्धारित लक्ष्यों के अनुपालन का आकलन करने के लिए विचार किया जाएगा, तथा लोहे, लकड़ी, प्लास्टिक, धातु और कांच जैसे अपशिष्ट के अन्य पुनः विक्रय योग्य/पुनः उपयोग योग्य सामग्री के उपयोग पर दिशानिर्देशों के अनुपालन का आकलन करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(9) अधिसूचित मानकों, तकनीकी विनिर्देशों, यदि कोई हो, के अनुसार उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने का दायित्व पुनर्चक्रणकर्ता का होगा।

(10) अपशिष्ट उपयोग संबंधी कार्य ढांचे के अंतर्गत आने वाली कोई भी इकाई किसी अपंजीकृत इकाई के साथ कारोबार नहीं करेगी।

(11) निर्माण गतिविधि और सड़क निर्माण के अधिभोगी की प्राथमिक जिम्मेदारी अपशिष्ट उपयोग के संबंध में जारी अधिदेशों को पूरा करने की होगी, और ऐसा करने में, वह सेवा प्रदाता, ठेकेदार, अधिकृत एजेंसी, पुनर्चक्रणकर्ता या इस प्रयोजन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अनुमोदित अन्य एजेंसियों से सहायता ले सकता है।

(12) किसी अधिभोगी द्वारा तकनीकी या प्रशासनिक आधार पर अपशिष्ट उपयोग संबंधी अधिदेश का अनुपालन करने से मांगी गई आंशिक या पूर्ण छूट के लिए संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात स्थानीय प्राधिकरण या विकास प्राधिकरण या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, जैसा भी मामला हो, से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी, जो अपशिष्ट उपयोग संबंधी कार्य ढांचे के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

अध्याय IV

हितधारकों की जिम्मेदारी

9. अपशिष्ट सृजनकर्ता की जिम्मेदारियां. - अपशिष्ट **सृजनकर्ता** अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निम्नलिखित उपाय करने के लिए जिम्मेदार होंगे:

1. पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को सुगम बनाने के लिए अपशिष्ट को एकत्रित करना और अलग करना, जैसे कंक्रीट, मिट्टी, ईंट, स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक आदि को अलग-अलग सामग्रियों में बदलना;
2. अपशिष्ट का भंडारण करना तथा उसके पुनर्चक्रण के लिए उपाय करना, या तो उसी स्व-स्थाने पर या बाह्य-स्थाने प्रक्रमित करने के लिए मार्गनिर्देशित करना;
3. संपूर्ण (100%) अपशिष्ट को संग्रहण बिंदु या मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधा केंद्र तक ले जाना या उपयुक्त होने पर अपशिष्ट को किसी अधिकृत एजेंसी या पुनर्चक्रणकर्ता को सौंपना;
4. वायु प्रदूषण को रोकने, कचरे को इधर-उधर बिखरने से रोकने तथा कचरे के संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण के दौरान सार्वजनिक बाधाओं से बचने के लिए उपाय करना;
5. कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन एजेंसियों के आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन करना।

10. उत्पादकों की जिम्मेदारियां. - अपशिष्ट उत्पादक, जिन्हें उत्पादकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निम्नलिखित उपाय करने के लिए अलग से जिम्मेदार होंगे:

1. पोर्टल पर पंजीकरण कराएं, तथा इन नियमों के अंतर्गत दिए गए सभी दायित्वों का पालन करें;
2. अपशिष्ट के पर्यावरण की दृष्टि से उचित प्रबंधन के लिए केन्द्रीय या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों और कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रियाओं और उपायों का पालन करें;

3. 'आईएस 4130: भवनों के विध्वंस के लिए सुरक्षा कोड' या विध्वंस के लिए कार्यान्वयन या प्रवर्तन एजेंसी द्वारा निर्धारित किसी अन्य मानक संचालन प्रक्रियाओं और उपायों के अनुपालन में विध्वंस करना;

4. एक ही क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्र में सभी निर्माण गतिविधियों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के पूर्व अनुमोदन से एक एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करना।

11. ठेकेदारों, सेवा प्रदाताओं और अधिकृत एजेंसियों की जिम्मेदारियां. - ठेकेदार, सेवा प्रदाता और अधिकृत एजेंसियां निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होंगी, -

(1) अपशिष्ट उत्पादक को स्रोत से संग्रहण बिंदु या मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधा केंद्र या पुनर्चक्रण के लिए प्रकमण सुविधा तक अपशिष्ट के चैनलीकरण में सहायता करना;

(2) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व और अपशिष्ट उपयोग संबंधित कार्य ढांचे के तहत निर्धारित दायित्व को पूरा करने में अपशिष्ट उत्पादक की सहायता करना और इन नियमों के सख्त अनुपालन में सेवाएं प्रदान करना;

(3) स्थानीय प्राधिकरण, अपशिष्ट उत्पादकों, पुनर्चक्रणकर्ताओं और मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधा केंद्र के संचालकों के साथ समन्वय स्थापित करना, ताकि अपशिष्ट का संग्रहण, भंडारण प्रक्रमण सुविधा केंद्र या मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधा केंद्र तक प्रेषण को सुगम बनाया जा सके और कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन एजेंसियों के साथ ऐसी सूचना साझा की जा सके;

(4) टिकाऊ निर्माण पद्धतियों को लागू करना, जिसमें 'आईएस 15883: 2021 - निर्माण परियोजना प्रबंधन भाग 11 स्थिरता प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश' पर मार्गदर्शन शामिल है;

(5) अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पर्याप्त अवसंरचना स्थापित करना, अपशिष्ट के पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन तथा प्रमाणिक अपशिष्ट के उपयोग के संबंध में अपने कर्मचारियों और श्रमिकों को प्रशिक्षण देना तथा उनमें जागरूकता पैदा करना;

(6) अपशिष्ट के पर्यावरणीय दृष्टि से उचित प्रबंधन के लिए केन्द्रीय या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों और कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रियाओं और उपायों का पालन करना;

(7) कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन एजेंसियों के आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन, जिसमें गैर अनुपालन ना करने के लिए पर्यावरण क्षतिपूर्ति जमा करना भी शामिल है।

12. मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधा केंद्र के संचालकों की जिम्मेदारियां. - मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधा केंद्र के संचालक निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होंगे, -

(1) पोर्टल पर पंजीकरण, तथा पंजीकरण एवं अन्य शुल्क का भुगतान, जैसा कि इन नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जा सकता है;

(2) मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधा केंद्र पर अपशिष्ट की प्राप्ति, भंडारण और प्रेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थानीय प्राधिकरण, अपशिष्ट उत्पादकों, सेवा प्रदाताओं और अधिकृत एजेंसियों के साथ समन्वय करना और कार्यान्वयन और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ ऐसी जानकारी साझा करना;

(3) निचले इलाकों में तथा अन्य प्रयोजनों के लिए, सैनिटरी लैंडफिल सुविधा केंद्र को छोड़कर, अपशिष्ट के निपटान से पहले स्थानीय प्राधिकरण या विकास प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेना;

(4) केन्द्रीय या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों और कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रियाओं और उपायों का पालन करना;

(5) कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन एजेंसियों के आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन, जिसमें अनुपालन ना करने के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना भी शामिल है;

(6) प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर और 15 अप्रैल तक पूर्ववर्ती छमाही के दौरान होने वाली अपशिष्ट की प्राप्ति, भंडारण और प्रेषण संम्बंधी आंकड़ों के संकलन के लिए पोर्टल पर सूचना प्रस्तुत करना, तथा संबंधित वित्तीय वर्ष के बाद 30 मई को या उससे पहले पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए प्रारूप में वार्षिक रिटर्न दाखिल करना;

(7) यदि ऐसी इकाई अपशिष्ट के संग्रहण और परिवहन में लगी हुई है, तो नियम 11 के तहत 'प्राधिकृत एजेंसियों' के लिए निर्धारित जिम्मेदारियों का पालन करना।

13. पुनर्चक्रक की जिम्मेदारियां. - पुनर्चक्रक निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा, -

(1) पोर्टल पर पंजीकरण, तथा पंजीकरण एवं अन्य शुल्क का भुगतान, जैसा कि इन नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जाऐ;

(2) प्रेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थानीय प्राधिकरण, अपशिष्ट उत्पादकों, सेवा प्रदाताओं, अधिकृत एजेंसियों और अंतिम उपयोगकर्ताओं के साथ समन्वय करना तथा कार्यान्वयन और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ ऐसी जानकारी को साझा करना;

(3) निचले इलाकों में कचरे के निपटान से पहले और अन्य उद्देश्यों के लिए अंतिम उपयोगकर्ताओं को स्थानीय प्राधिकरण या विकास प्राधिकरण की पूर्व अनुमति लेना;

(4) केन्द्रीय या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों और कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रियाओं और उपायों का पालन करना;

(5) पुनर्नवीनीकृत उत्पादों के संबंध में उत्पाद की गुणवत्ता और तकनीकी विनिर्देशों की मानक आवश्यकताओं को पूरा करना, या अंतिम उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं जो भी लागू हो को पूरा करना;

(6) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पुनर्चक्रण के बाद अस्वीकृत या निष्क्रिय सामग्री का निकटतम सैनिटरी लैंडफिल सुविधा में निपटान;

(7) कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन एजेंसियों के आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन, जिसमें गैर-अनुपालन के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना भी शामिल है;

(8) प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर और 15 अप्रैल तक पूर्ववर्ती छमाही के दौरान होने वाली अपशिष्ट की प्राप्ति, भंडारण, पुनर्चक्रण और प्रेषण पर आंकड़ों के संकलन के लिए पोर्टल पर सूचना प्रस्तुत करना, तथा संबंधित वित्तीय वर्ष के बाद 30 मई को या उससे पहले पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए प्रारूप में वार्षिक रिटर्न दाखिल करना;

(9) यदि इकाई अपशिष्ट के संग्रहण और परिवहन में लगी हुई है, तथा मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधा केंद्र का संचालन कर रही है, तो 'प्राधिकृत एजेंसियों' और 'मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधा केंद्र संचालक' के लिए निर्धारित जिम्मेदारियों का अनुपालन करना।

14. केन्द्र सरकार की जिम्मेदारियां. - (1) केन्द्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी मंत्रालय, विभाग, संस्थान और संगठन निविदा दस्तावेजों, रुचि की अभिव्यक्ति, प्रस्ताव के लिए अनुरोध, आदि की शर्तों को पूरा करते हुए इन नियमों के अनुपालन में निर्माण गतिविधियों को करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

(2) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय निम्नलिखित कार्य करेगा:

(i) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के माध्यम से प्रसंस्कृत अपशिष्ट उत्पादों और वस्तुओं को शामिल करने के लिए 'दरों की अनुसूची' का उत्तरोत्तर अद्यतन करना;

(ii) स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) में लगे स्थानीय प्राधिकारियों को निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए सचेत करना;

(iii) भवन योजना परमिट, विध्वंस परमिट और पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने से संबंधित मॉडल भवन उप-नियमों के प्रावधानों को इन नियमों के प्रावधानों के अनुरूप बनाना;

(iv) विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकरण के प्रदर्शन मूल्यांकन और रेटिंग में इन नियमों के उचित अनुपालन को पूर्व-आवश्यकता के रूप में शामिल करना।

(3) सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़क निर्माण परियोजनाओं में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहित करने सहित उपाय करेगा और ऐसे उपयोग के लिए संबंधित तकनीकी विनिर्देश, मार्गदर्शन पुस्तिकाएं तैयार करेगा।

(4) ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग के माध्यम से निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के प्रबंधन और इन नियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी को संवेदनशील बनाने के लिए जागरूकता गतिविधियां और कार्यक्रम चलाएंगे।

(5) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय प्रसंस्कृत अपशिष्ट वस्तुओं को सरकारी ई-मार्केटप्लेस पर सूचीबद्ध करने की सुविधा के लिए उपाय करेगा।

(6) वित्त मंत्रालय वर्जिन निर्माण सामग्री की तुलना में पुनर्नवीनीकृत अपशिष्ट सामग्री की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए सहायक राजकोषीय उपायों का पता लगाएगा।

15. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जिम्मेदारियां. - केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा-

(1) पोर्टल की स्थापना, संचालन और रखरखाव, तथा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ढांचे के अनुपालन की निगरानी;

(2) इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से छह महीने के भीतर पोर्टल की कार्यक्षमता सुनिश्चित करना, संस्थाओं का पंजीकरण, और ऑनलाइन तरीके से विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी और अपशिष्ट उपयोग संबंधी कार्य ढांचे का कार्यान्वयन;

(3) इन नियमों के अंतर्गत निर्धारित सड़क निर्माण में अपशिष्ट उपयोग संबंधी कार्य ढांचे के कार्यान्वयन की निगरानी करना;

(4) इन नियमों के अंतर्गत सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करना, जिसमें विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र जारी करना भी शामिल है;

(5) इन नियमों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए केन्द्र तथा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार की एजेंसियों के साथ समन्वय करना;

(6) निम्नलिखित पर दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना और उसे कार्यान्वित करना-

(क) 'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ढांचे का कार्यान्वयन' जिसमें पोर्टल पर पंजीकरण, अपशिष्ट प्रबंधन योजना का अनुमोदन, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र सृजन, प्रमाणपत्रों का हस्तांतरण या विनिमय, दायित्व की पूर्ति, रिटर्न आदि शामिल हैं;

(ख) 'अपशिष्ट उपयोग संबंधी कार्य ढांचे का कार्यान्वयन' जिसमें परियोजनाओं का पंजीकरण, अपशिष्ट उपयोग योजना का अनुमोदन, अपशिष्ट उपयोग से छूट, दायित्व की पूर्ति, रिटर्न, आदि शामिल होंगे;

(ग) 'अपशिष्ट का पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा प्रबंधन' जिसमें अपशिष्ट का संग्रहण, भंडारण, परिवहन, पुनर्चक्रण और निपटान तथा अन्य पहलू शामिल होंगे;

(7) पंजीकृत संस्थाओं से सूचना के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए, इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यकतानुसार ऑनलाइन फॉर्म और रिटर्न तैयार करना;

(8) इन नियमों का प्रवर्तन, तथा पंजीकृत संस्थाओं के अनुपालन का आकलन करने के लिए यादृच्छिक जांच आयोजित करना। इस प्रयोजन के लिए बोर्ड राज्य सरकार या किसी अन्य एजेंसी की सहायता ले सकता है;

(9) अपशिष्ट और प्रसंस्कृत अपशिष्ट पर डेटा का दस्तावेजीकरण, संकलन तथा केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(10) इन नियमों के उल्लंघन और गैर-अनुपालन के विरुद्ध कार्रवाई करना;

(11) राज्य सरकारों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और शहरी स्थानीय निकाय अधिकारियों सहित क्षमता निर्माण विकसित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना;

(12) जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना;

(13) सभी हितधारकों का केंद्रीकृत डिजिटल प्रणाली के साथ एकीकरण;

(14) इस अध्याय के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित कोई अन्य कार्य।

16. भारतीय मानक ब्यूरो और भारतीय सड़क कांग्रेस की जिम्मेदारियां - भारतीय मानक ब्यूरो और भारतीय सड़क कांग्रेस निर्माण गतिविधियों के संबंध में पुन: चक्रित सामग्रियों और निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट उत्पादों के उपयोग के लिए आचार संहिता और मानकों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार होंगे और भारतीय सड़क कांग्रेस की भूमिका सड़कों के निर्माण से संबंधित मानकों और प्रथाओं तक विशिष्ट होगी।

17. राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, स्थानीय प्राधिकरण या विकास प्राधिकरण, तथा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति की जिम्मेदारियां – (1) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार का शहरी विकास और नगर प्रशासन विभाग या कार्रवाई करने के लिए अधिकृत अन्य विभाग निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होंगे-

(क) अपशिष्ट प्रबंधन नीति का निर्माण और कार्यान्वयन, तथा अपने अधिकार क्षेत्र में अपशिष्ट प्रबंधन और प्रसंस्कृत अपशिष्ट के उपयोग के लिए निर्देश जारी करना, जो इन नियमों के अनुरूप हो;

(ख) इन नियमों की अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर स्थानीय या क्षेत्रीय या क्लस्टर आधार पर मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधा केंद्रओं और प्रसंकरण स्थलों की पहचान करने और उन्हें स्थापित करने में स्थानीय प्राधिकारियों को सहायता प्रदान करना तथा इन नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करना;

(ग) अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले विभागों, संस्थानों और संगठनों को निविदा दस्तावेजों, रुचि की अभिव्यक्ति, प्रस्ताव के लिए अनुरोध आदि की शर्तों को संरेखित करके इन नियमों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए निर्माण गतिविधियों को करने का निर्देश देना;

(घ) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सहायक और पर्यवेक्षण एजेंसियों को:

(i) प्रबंधित किए जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा का आकलन करना;

(ii) अपशिष्ट प्रबंधन और अपशिष्ट उपयोग योजनाओं को समय पर मंजूरी देना;

(iii) गैर-अनुपालन निर्माण गतिविधियों से पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूलना;

(iv) प्रभावी निगरानी करना;

(ङ) प्रसंस्कृत अपशिष्ट वस्तुओं और सामग्रियों को राज्य-विशिष्ट 'दरों की अनुसूची' में शामिल करना;

(च) निर्माण एवं विध्वंस श्रमिकों के पंजीकरण, कौशल विकास, सुरक्षित परिचालन स्थितियों और नियमित स्वास्थ्य निगरानी के लिए उपाय करना।

(2) स्थानीय या विकास प्राधिकरण, जैसा उपयुक्त हो, निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा-

(क) इन नियमों के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए निर्देश जारी करना;

(ख) उल्लंघन और गैर-अनुपालन के मामलों को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति के पास भेजना;

(ग) स्थानीय उपनियमों को इन नियमों के अनुरूप बनाना;

(घ) अपशिष्ट प्रबंधन और उपयोग योजनाओं को ऑनलाइन मोड में समय पर मंजूरी प्रदान करना;

(ङ) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व और अपशिष्ट उपयोग संबंधी कार्य ढांचे के अनुपालन के लिए निविदाओं, रुचि की अभिव्यक्ति, प्रस्तावों के लिए अनुरोध, कार्य आदेश आदि में अनिवार्य शर्तें निर्धारित करना;

(च) इन नियमों की अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर अधिकारिता या क्लस्टर या क्षेत्रीय आधार पर प्रक्रमण सुविधा या एकीकृत अपशिष्ट भंडारण सुविधा केंद्र या दोनों की स्थापना;

(छ) स्रोत से अपशिष्ट संग्रहण की सुविधा के लिए संग्रहण केन्द्रों की स्थापना;

(ज) पंजीकृत संस्थाओं को अपशिष्ट के परिवहन और भंडारण की सुविधा प्रदान करना, ताकि 'इन-सीटू' मोड या प्रक्रमण सुविधा के माध्यम से उसका पुनर्चक्रण किया जा सके;

(झ) विरासत या बेनाम अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए उपाय करना;

(ञ) यदि आवश्यक हो तो प्रक्रमण सुविधा से अपशिष्ट के उपयोग के लिए एक 'ऑफटेक' योजना को कार्यान्वित करना;

(ट) पंजीकृत संस्थाओं और अन्य हितधारकों से जानकारी मांगना;

(ठ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(3) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगी-

(क) इन नियमों का प्रवर्तन;

(ख) इन नियमों के तहत सड़क निर्माण में अपशिष्ट उपयोग संबंधी कार्य ढांचे का कार्यान्वयन;

(ग) उपयोग संबंधी कार्य ढांचे के अनुपालन की निगरानी करना;

(घ) इन नियमों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र लोक निर्माण विभाग और जिला प्राधिकरणों के साथ समन्वय करना;

(ङ) अपने अधिकार क्षेत्र में पुराने अपशिष्ट सहित अपशिष्ट की सूची बनाना;

(च) इन नियमों के उल्लंघन और गैर-अनुपालन के सभी मामलों पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई करना, जिसमें पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आरोपण भी शामिल है;

(छ) अंतर-विश्लेषण करना अर्थात उत्पन्न अपशिष्ट और उपलब्ध प्रक्रमण क्षमता का आकलन करना ताकि नई सुविधाओं की आवश्यकता पर निर्णय लिया जा सके;

(ज) टिकाऊ निर्माण दृष्टिकोण के उपयोग और अपनाने पर हितधारकों के प्रशिक्षण के माध्यम से व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम चलाना;

(झ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उसके द्वारा निर्धारित प्रारूप में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

अध्याय V

अपशिष्ट भंडारण और प्रक्रमण आवश्यकताएँ

18. अपशिष्ट और प्रसंस्कृत अपशिष्ट के भंडारण की प्रक्रिया - (1) स्थानीय प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र में स्रोत से प्रक्रमण सुविधा या मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधा केंद्र तक अपशिष्ट के चैनलाइजेशन के लिए संग्रहण बिंदु स्थापित करेगा।

(2) मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधा केंद्र स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित मामलों में स्थापित की जाएगी:

(i) क्षेत्राधिकार में कार्यात्मक प्रक्रमण सुविधा का न होना, तथा

(ii) कार्यात्मक प्रक्रमण सुविधा के साथ भंडारण स्थान की बाधाएं।

(3) प्रसंस्करण सुविधा के पास भंडारण स्थान की कमी होने के कारण प्रदान किए गए अपशिष्ट के मध्यवर्ती भंडारण को कार्यान्वयन एजेंसी के पूर्व अनुमोदन से 120 दिनों की अवधि के लिए अनुमति होगी, जिसे 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

(4) किसी क्षेत्राधिकार में नई प्रसंस्करण सुविधाओं या मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधा केंद्र की स्थापना और संचालन के लिए संचालन प्रारंभ करने से पहले पोर्टल पर पूर्व अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यक होगा।

(5) सभी प्रसंस्करण सुविधाएं और मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधा केंद्रएं अपशिष्ट के पर्यावरणीय रूप से स्वस्थ प्रबंधन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समितियों द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करेंगी।

(6) प्रसंस्करण सुविधाओं और मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधा केंद्रओं द्वारा सार्वजनिक उपद्रव से बचने, वायु प्रदूषण को रोकने और अवैज्ञानिक अपशिष्ट निपटान को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएंगे।

(7) प्रसंस्करण सुविधाओं और मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण सुविधा केंद्रओं द्वारा निर्धारित हितधारक उत्तरदायित्वों और नियम प्रावधानों का पालन न करना उल्लंघन और गैर-अनुपालन माना जाएगा, और इसके परिणामस्वरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आरोपण सहित कार्रवाई की जाएगी।

अध्याय-VI

पर्यावरणीय मुआवज़ा

19. पर्यावरण मुआवजा. - (1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों और दिशानिर्देशों के उल्लंघन के मामले में संस्थाओं पर पर्यावरण मुआवजा लगाने और संग्रहण के लिए नीचे उपनियम (4) के अनुसार दिशानिर्देश निर्धारित करेगा और उक्त दिशानिर्देश इन नियमों के अनुसार होंगे तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होंगे।

(2) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अपंजीकृत उत्पादकों, पुनर्चक्रणकर्ताओं, अपशिष्ट भंडारण सुविधा केंद्रओं के संचालकों, निर्माण और पुनर्निर्माण परियोजनाओं के अधिभोगियों तथा किसी भी इकाई पर भी लगाई जाएगी, जो विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व और अपशिष्ट उपयोग संबंधी कार्य ढांचे के उल्लंघन में सहायता या प्रोत्साहन देती है।

(3) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समितियों को इन नियमों के अनुसार पर्यावरणीय प्रतिकर लगाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

(4) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व और अपशिष्ट उपयोग संबंधी कार्य ढांचे के अंतर्गत गैर-अनुपालन और उल्लंघन के नीचे उल्लिखित मामलों में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी:

(i) पुनर्चक्रणकर्ता - झूठे प्रमाणपत्र जारी करना, गलत जानकारी प्रदान करना, तथा अपंजीकृत संस्थाओं के साथ व्यवहार करना;

(ii) उत्पादक - विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ढांचे के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों का पालन न करना, तथा अपंजीकृत संस्थाओं के साथ व्यवहार करना;

(iii) निर्माण या पुनः निर्माण गतिविधि में शामिल व्यक्ति - अपशिष्ट उपयोग संबंधी कार्य ढांचे के तहत निर्धारित लक्ष्यों का पालन न करना, तथा अपंजीकृत संस्थाओं के साथ व्यवहार करना;

(iv) एकीकृत अपशिष्ट भंडारण सुविधा केंद्र का संचालक - गलत जानकारी प्रदान करना, तथा अपंजीकृत संस्थाओं के साथ व्यवहार करना;

(v) स्थानीय प्राधिकरण - इन नियमों की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष तक एकीकृत अपशिष्ट भंडारण सुविधा केंद्र या प्रक्रमण सुविधा की स्थापना न करना।

(5) (i) पर्यावरणीय मुआवजे के भुगतान से उत्पादक इन नियमों में विनिर्दिष्ट विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकना तथा किसी विशेष वर्ष के लिए अधूरे विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को अगले वर्ष के लिए आगे ले जाया जा सकेगा तथा इसी प्रकार आगे तीन वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा।

(ii) यदि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दायित्व की कमी को एक वर्ष के बाद पूरा किया जाता है, तो लगाए गए पर्यावरणीय मुआवजे का 85 प्रतिशत उत्पादक को वापस कर दिया जाएगा।

(iii) यदि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दायित्व की कमी को दो वर्ष के बाद पूरा किया जाता है, तो लगाए गए पर्यावरणीय मुआवजे का 60 प्रतिशत उत्पादक को वापस कर दिया जाएगा, और यदि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व की कमी को तीन वर्ष के बाद पूरा किया जाता है, तो लगाए गए पर्यावरणीय मुआवजे का 30 प्रतिशत उत्पादक को वापस कर दिया जाएगा, उसके बाद उत्पादक को कोई पर्यावरणीय मुआवजा वापस नहीं किया जाएगा।

(6) गलत जानकारी जिसके कारण अत्यधिक संख्या में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों तैयार किए जा सकते हों, के परिणामस्वरूप पंजीकरण वापस ले लिया जाएगा और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी लगायी जाएगी, जिसे वापस नहीं किया जायेगा तथा उपनियम (4) के अनुसार तीन या अधिक बार अपराध, उल्लंघन दोहराए जाने पर पंजीकरण को स्थायी रूप से रद्द करने के साथ-साथ पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार भी लगाया जाएगा।

(7) (i) पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तहत इस प्रकार एकत्रित धनराशि को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक अलग एस्क्रो खाते में रखा जाएगा, तथा इस प्रकार एकत्रित धनराशि का उपयोग एकत्रित न किए गए, विरासत में मिले, पुराने अपशिष्ट तथा गैर-पुनर्नवीनीकृत अपशिष्ट, जिस पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाई जाती है, के संग्रहण तथा पुनर्चक्रण, अनुसंधान एवं विकास, पुनर्चक्रणकर्ताओं को प्रोत्साहित करने, अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता तथा समिति द्वारा तय किए गए अन्य शीर्षों पर किया जाएगा।

(ii) उपयोग के तौर-तरीके और इसके शीर्ष पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदन से संचालन समिति द्वारा तय किए जाएंगे।

अध्याय VII

विविध

20. रिपोर्टिंग और सूचना साझा करना.- (1) स्थानीय प्राधिकरण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में, प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके अधिकार क्षेत्र में इन नियमों के कार्यान्वयन की स्थिति का उल्लेख होगा।

(2) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति प्रत्येक वर्ष 30 मई तक निर्धारित प्रारूप में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में इन नियमों के कार्यान्वयन की स्थिति दर्शाई जाएगी।

(3) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों की जांच और विश्लेषण करेगा तथा प्रत्येक वर्ष 30 जून तक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान देश में इन नियमों के कार्यान्वयन की स्थिति दर्शाई जाएगी।

(4) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ढांचे के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं को प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर और 15 अप्रैल तक पूर्ववर्ती छमाही के दौरान अपशिष्ट की प्राप्ति, भंडारण, पुनर्चक्रण और प्रेषण पर आंकड़ों के संकलन के लिए पोर्टल पर सूचना प्रस्तुत करनी होगी।

21. दुर्घटना की रिपोर्टिंग. - जहां अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन, भंडारण या प्रक्रमण के दौरान कोई दुर्घटना होती है, वहां इकाई का प्रतिनिधित्व करने वाला प्राधिकृत व्यक्ति अर्थात अपशिष्ट उत्पादक, प्राधिकृत एजेंसी, एकीकृत अपशिष्ट सुविधा संचालक या पुनर्चक्रक, जैसा भी मामला हो, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को टेलीफोन और ई-मेल के माध्यम से घटना के बारे में तुरंत या 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट करेगा।

22. सत्यापन और लेखा-परीक्षा. - (1) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्वयं या किसी नामित एजेंसी के माध्यम से, निरीक्षण और आवधिक लेखा-परीक्षा के माध्यम से, जैसा उचित समझा जाए, विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी, अपशिष्ट उपयोग और इन नियमों के अन्य प्रावधानों के लिए संबंधित संस्थाओं के ढांचे के अनुपालन का आकलन करेगा और इस अध्याय के नियमों के तहत उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करेगा।

(2) सत्यापन और लेखापरीक्षा के लिए कोई भी शुल्क केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संबंधित इकाई से लिया जाएगा।

23. संचालन और निगरानी समिति का गठन. - (1) इस अध्याय के अंतर्गत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व और अपशिष्ट उपयोग संबंधी कार्य ढांचे सहित इन नियमों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक संचालन समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, यथा: -

i. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और नीति आयोग से एक-एक प्रतिनिधि;

ii. भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय सड़क कांग्रेस, राष्ट्रीय सीमेंट एवं निर्माण सामग्री परिषद, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय निर्माण सामग्री परिषद से एक-एक प्रतिनिधि;

iii. रियल एस्टेट सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और रीसाइक्लिंग इंडस्ट्री से दो-दो प्रतिनिधि;

iv. किसी भी तीन राज्य सरकारों से रोटेशन के आधार पर एक-एक प्रतिनिधि;

v. किसी भी तीन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समितियों से रोटेशन के आधार पर एक-एक प्रतिनिधि;

vi. सहयोजित सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य - जैसा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समिति के कार्य संचालन के लिए उपयुक्त समझा जाए;

vii. सीपीसीबी से संबंधित प्रभागीय प्रमुख;

viii. सदस्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य संयोजक।

(2) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर एक निगरानी समिति होगी जिसमें निम्नलिखित राज्य विभागों/एजेंसियों का प्रतिनिधित्व होगा:

i. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग;

ii. शहरी विकास और नगर प्रशासन विभाग;

iii. सड़क एवं परिवहन विभाग;

iv. ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग;

v. भूमि प्रबंधन और राजस्व विभाग;

vi. रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और रीसाइक्लिंग उद्योग से राज्य स्तरीय प्रतिनिधि;

vii. निगरानी समिति के अध्यक्ष द्वारा सहयोजित राज्य के तीन शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि;

viii. सहयोजित सदस्य - जैसा कि निगरानी समिति द्वारा समिति के कार्य संचालन के लिए उपयुक्त समझा जाए;

ix. सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति - सदस्य संयोजक।

(3) संचालन समितियां इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर समय-समय पर उत्पन्न विवादों पर निर्णय लेंगी तथा इस अध्याय से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को केन्द्रीय सरकार को संदर्भित करेंगी।

(4) संचालन समिति प्रौद्योगिकीय प्रगति और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए पुनर्चक्रण के तरीकों के लक्ष्यों, भार और अनुमेयता की समीक्षा और संशोधन करेगी तथा केंद्र सरकार को सिफारिशें करेगी।

(5) संचालन समिति ऐसे सभी उपाय करेगी, जिन्हें वह इस अध्याय के उपबंधों के समुचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे।

(6) संचालन समिति इस अध्याय के कार्यान्वयन की समग्र निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होगी।

24. अपील

(1) इन नियमों के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति या संस्था, उसे आदेश संसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रभारी सचिव (पर्यावरण) को विहित प्रपत्र में अपील कर सकेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति या संस्था इन नियमों के तहत जुर्माना या पर्यावरण मुआवजा लगाने से संबंधित किसी आदेश से व्यथित है, और जिसे उप-नियम (1) के अनुसार प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भी बरकरार रखा गया है, वह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर दूसरी अपील कर सकता है। अपील पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के संबंधित अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव के पास दायर की जा सकती है, जिसके साथ जुर्माना या पर्यावरण मुआवजे की राशि का 20% जमा करने का प्रमाण भी संलग्न करना होगा, जिसे अपील का निर्णय अपीलकर्ता के पक्ष में आने की स्थिति में वापस कर दिया जाएगा।

(3) उपनियम (1) और (2) में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील पर विचार कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता पर्याप्त कारण से समय पर अपील दायर करने से रोका गया था।

(4) अपील का उत्तर या निपटान अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय में उसकी प्राप्ति से 60 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।

25. अभियोजन.- कोई भी व्यक्ति, जो विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए इन नियमों के अंतर्गत अपेक्षित गलत सूचना प्रदान करता है, किसी भी तरीके से झूठे या जाली विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों का उपयोग करता है या उपयोग करवाता है, जानबूझकर इन नियमों के अंतर्गत दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करता है या सत्यापन और लेखा परीक्षा कार्यवाही में सहयोग करने में विफल रहता है, उसके विरुद्ध अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकता है और यह अभियोजित नियम 16 के अंतर्गत लगाए गए पर्यावरणीय मुआवजे के अतिरिक्त होगा।

26. अड़चनों को दूर करने की शक्ति

संचालन समिति इन विनियमों के सुचारू कार्यान्वयन में कठिनाई पैदा करने वाले मुद्दों की जांच करेगी तथा ऐसी किसी भी अड़चन को दूर करने का अधिकार रखती है, तथा ऐसे किसी भी मुद्दे को, यदि उचित समझा जाए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विचारार्थ भेज सकती है।

अनुसूची I

[नियम 4(3) देखें]

अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के लिए लक्ष्य

विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व ढांचा

वर्ष	पुनर्निर्माण परियोजनाएं	विध्वंस परियोजनाएं
2025-26	50%	50%
2026-27 से आगे	100%	100%

अनुसूची II

[नियम 8(5) देखें]

निर्माण एवं पुनर्निर्माण में अपशिष्ट के उपयोग के लिए न्यूनतम लक्ष्य

भवन निर्माण के लिए अपशिष्ट उपयोग संबंधी कार्य ढांचे के अनुसार गतिविधियाँ

वर्ष	**अपशिष्ट उपयोग अधिदेश**
2026-27	5%
2027-28	10%
2028-29	15%
2029-30	20%
2030-31 और उसके बाद	25%

नोट: *1. निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के प्रत्यक्ष उत्पाद हैं (i) महीन समुच्चय, (ii) पुनर्चक्रित कंक्रीट समुच्चय (आकार 5-10 मिमी, 10-20 मिमी, 20-40 मिमी या आवश्यकतानुसार); (iii) पुनर्चक्रित समुच्चय (5-10 मिमी, 10-20 मिमी, 20-40 मिमी या आवश्यकतानुसार), और (iv) निर्मित मिट्टी;*

2. पुनर्नवीनीकृत सी एंड डी अपशिष्ट का उपयोग करके निर्मित डाउनस्ट्रीम उत्पाद हैं (i) ईंटें, ब्लॉक, टाइलें, खोखली ईंटें, दीवार टाइलें; (ii) पेवर्स, कर्ब स्टोन; (iii) पार्क बेंच, नाली कवर, प्लांटर्स, कंपाउंड वॉल, बाड़ पोस्ट, ट्री गार्ड, ट्री पिट कवर, मैनहोल कवर, भूमिगत केबल कवर, प्री-कास्ट बाउंड्री वॉल पैनल और पोल, आदि।

अनुसूची III

[नियम 8(5) देखें]

सड़क निर्माण में अपशिष्ट के न्यूनतम उपयोग का लक्ष्य

वर्ष	अपशिष्ट उपयोग अधिदेश
2026-27	5%
2027-28	5%
2028-29	10%
2029-30	10%
2030-31 और उसके बाद	15%

नोट: 1. आईआरसी:121-2017 के अनुसार, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट से प्राप्त पुनर्चक्रित समुच्चय और पुनर्चक्रित कंक्रीट समुच्चय, प्रसंस्करण के बाद, सड़क निर्माण अनुप्रयोगों में उपयोग किए जा सकते हैं जैसे: (i) तटबंध, जिसमें मिट्टी के तटबंध भी शामिल हैं (भराव सामग्री के रूप में); (ii) लचीले फुटपाथ (दानेदार सब-बेस, सीमेंट स्थिर बेस, सब-बेस कोर्स के रूप में); कंक्रीट फुटपाथ (शुष्क लीन कंक्रीट, रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट, सादे सीमेंट कंक्रीट में, और (iv) फ़र्श ब्लॉक और कर्ब स्टोन; और

2. समुच्चयों के उत्पादन के दौरान क्रशिंग के परिणामस्वरूप उत्पन्न चूर्णित सी एंड डी अपशिष्ट को, तकनीकी आवश्यकताओं जैसे ग्रेडेशन, शक्ति, जल अवशोषण, सुदृढ़ता आदि को पूरा करने के लिए सीमेंट स्थिरीकरण के बाद उप-आधार सामग्री के रूप में उपयोग किया जा सकता है ।

[सं. एचएसएम-12/152/2022-एचएसएम]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव,

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2024

G.S.R. 458(E).— Whereas by notification vide G.S.R. 445(E), dated 29th March, 2016, the Central Government through the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India had notified the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 to provide a regulatory framework for management of construction and demolition waste in the country;

And whereas, the rules were notified to undertake environmental sound management of construction and demolition waste covering its segregation, collection, recycling, treatment and disposal, and to discourage unscientific disposal, promote scientific waste management, prevent loss of embedded recyclable value, and address air and water pollution related issues emanating from dumping of waste;

And whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has noted through the implementation review that the existing regulation needs comprehensive revision and strengthening by incorporating specific measures for waste management, waste utilization and non-compliance, along with alignment with circular economy and resource efficiency approaches by introducing extended producer responsibility, environmental compensation, centralised interface based online monitoring and compliance assessment;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8, and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby invites suggestions or comments, within a notice period of sixty (60) days, from the general public at **mishra.vp@gov.in** and **amit.vashishtha@nic.in** on the following draft notification, which supersedes the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, namely-

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement. - (1) These rules shall be called the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2024.

(2) They shall come into force with effect from **01st April 2025**.

2. Application. -

(1) These rules shall apply to all activities of construction, demolition, remodelling, renovation and repair of any structure.

(2) These rules shall not apply to the waste categories or streams covered under the following:

a. Solid Waste Management Rules, 2016, as amended;

b. Plastic Waste Management Rules, 2016, as amended;

c. Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016, as amended;

d. Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962) and rules made thereunder;

e. Defence projects, and other projects of strategic nature; and

f. Waste streams covered under other extended producer responsibility frameworks.

3. Definitions. – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

a. **"Act"** means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

b. **"authorized agency"** means an agency authorized by the local authority for collection and/ or transportation of construction and demolition waste;

c. **"construction"** means the process of erecting, altering, repairing, or remodelling of a structure, building, infrastructure and utility projects like, residential and office complexe, road, highway, industrial complexe, airport, port, harbor, laying of pipeline for water, wastewater, gas, crude oil, optical fiber cable, electric cable, telecom cable, and such other projects;

d. **"construction and demolition waste"** means the waste generated due to construction, demolition, re-modeling, repair, maintenance activities, and comprises of soil, sand and gravel, bricks and masonry, concrete, metal, wood, plastic, and such other items;

e. **"contractor"** means any individual or entity engaged to provide construction services on commercial basis;

f. **"demolition"** means dismantling, razing, destroying or wrecking of a building or structure or any part thereof by any means;

g. **"development authority"** means an agency that implements town planning schemes, area development plans, building laws, and responsible for development of an urban area, regulate incidental civil operations like construction, engineering, demolition, including utility services and amenities;

h. **"collection points"** means designated places in the jurisdiction of local authority that where waste generators, other than producers, are required to deposit their construction and demolition waste to facilitate its management in environmentally sound manner;

i. **"extended producer responsibility"** means responsibility of a producer to manage construction and demolition waste and meet recycling targets as per Schedule-I to ensure its environmentally sound management;

j. **"guidelines"** means a document prepared and issued by the Central Pollution Control Board elaborating minimum requirements, specific measures and procedures for achieving environmentally sound management of construction and demolition waste including its handling, collection, transportation, storage and processing;

k. **"intermediate waste storage facility"** means a place in the jurisdiction of the local authority, operated by the authority or an authorised operator, where construction and demolition waste can be stored to facilitate its management in environmentally sound manner;

l. **"legacy waste"** means the orphan and untreated construction and demolition waste lying in the jurisdiction of the local authority, before the notification of these rules;

m. **"local authority"** means an agency entrusted by the State Government or Union Territory Administration to discharge functions related to sanitation, covering management of construction and demolition waste, with various nomenclatures like municipal corporation, municipality, mahanagar-palika, nagar-palika, nagar-nigam, nagar-panchayat, municipal council, block-panchayat, village-panchayat, gram-panchayat, cantonment board, and notified area committee;

n. **"portal"** means a centralised online interface developed by Central Pollution Control Board for the purposes of implementation of extended producer responsibility and waste utilisation framework, monitoring and enforcement of these rules, and to act as single point data repository on construction and demolition waste;

o. **"producer"** means a waste generator registered on the portal for a building or building complex project having built-up area of 20000 square meters and above;

p. **"re-construction"**, means all construction activities covering erection, remodelling, repair and renovation, preceded by demolition of an existing structure;

q. **"recycler"** means an entity registered on the portal, and engaged in recovery of reusable material from construction and demolition waste through on-site or offsite processing for manufacturing of value added products or otherwise;

r. **"processing facility"** means a designated establishment equipped with requisite infrastructure to process construction and demolition waste operated by the recycler, to carry out processes like reception, storage, segregation, treatment, and manufacturing of value-added articles or materials out of construction and demolition waste;

s. **"schedule"** means a schedule annexed to these rules;

t. **"service provider"** means an entity or authority providing civic and utility service like water supply, gas pipeline, optical fiber cable network, sewerage, electricity, telephone, drainage etc;

u. **"standard operating procedure"** means a document prepared and issued by the Central Pollution Control Board containing set of instructions to manage construction and demolition waste in an environmentally sound manner elaborating standardized and minimum requirement of equipment, processes etc.;

v. **"target"** means a tangible number prescribed as mandatory responsibility for concerned entities under the extended producer responsibility and waste utilization framework, corresponding to the quantum of construction and demolition waste generated and extent of construction materials to be used;

w. **"waste"** means the construction and demolition waste for the purpose of these rules, unless specified otherwise;

x. **"waste generator"** means an occupier of the project having full control over the construction or reconstruction or demolition activity resulting in generation of waste;

y. **"waste management plan"** means a document prepared by producers, duly approved by local authority, for the management of construction and demolition waste to meet extended producer responsibility targets prescribed under Schedule- I;

z. **"waste utilisation plan"** means a document prepared by occupiers of construction and re-construction projects, duly approved by local authority, for the utilization of processed construction and demolition waste to meet waste utilisation targets prescribed under Schedule- II.

(2) Words and expressions used in these rules, but not defined, shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

CHAPTER II

Extended Producer Responsibility Framework

4. Coverage.- (1) The extended producer responsibility obligation shall apply on all producers.

(2) **Registration. –** The extended producer responsibility framework shall be implemented and monitored through an online portal, and following entities shall register on the portal, namely:-

a. Producer;

b. Operator of Intermediate Waste Storage Facility; and

c. Recycler.

(3) The extended producer responsibility targets for recycling are specified under Schedule I, and producer shall be solely responsible to meet the obligation.

(4) In case of in-situ recycling, producer shall register in both categories and fulfil the responsibilities of waste generator as well as recycler for the corresponding quantities of waste.

(5) No entity referred in sub-rule (3) shall carry out business without registration.

(6) The entities registered under sub-rule (3) shall not deal with any unregistered entity.

(7) Where any registered entity furnishes false information or willfully conceals information for registration or return or report or information required to be provided or furnished under this Chapter or in case of any irregularity, the registration of such entity may be revoked by the Central Pollution Control Board for a period up to five-years

after giving an opportunity to be heard and in addition, environmental compensation charges may also be levied as per rule 17.

(8) The Central Pollution Control Board may charge registration and maintenance fee from the entities seeking registration based on quantum of waste generated, recycled, or handled by them.

(9) The corpus generated as per sub-rule (7) may be shared between the Central Pollution Control Board and the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee in the ratio of sixty to forty (60:40).

5. Modalities for Extended Producer Responsibility Framework. –

(1) The local authority or development authority (implementing agency), as the case may be, shall implement extended producer responsibility framework through the portal, as decided by the concerned State or Union Territory Government.

(2) The obligation to manage waste in any construction, re-construction or demolition project, corresponding to the targets specified in Schedule I, shall be regulated through a waste management plan, and the implementing agency shall be required to integrate its approval with the existing project approval process.

(3) The waste management plan shall assess the quantum of waste from all streams in a re-construction and demolition project; however, only the debris part of the waste viz. cement concrete, bricks, cement plaster, stone, rubble, tiles etc. shall be accounted towards assessing compliance to prescribed extended producer responsibility targets.

(4) The readily resalable/ reusable streams of waste like iron, wood, plastic, metal and glass shall not be considered for assessing the extended producer responsibility compliance.

(5) Until a recycling facility becomes operational, the local authority or development authority, as the case may be, shall establish and operate an intermediate waste storage facility itself or through an authorised operator, and register it on the portal.

(6) The producer shall be required to deposit its entire (100%) waste to the processing facility directly as its extended producer responsibility obligation; however, in case of absence of a functional processing facility, the entire (100%) waste generated shall be deposited at the intermediate waste storage facility.

(7) In case the producer is undertaking in-situ processing, it shall be required to deposit the entire (100%) left over waste to the processing facility as its extended producer responsibility obligation.

(8) The registered entities shall be responsible for entering data on waste generation, handling, storage, recycling and value-added products in the portal, subject to verification by implementing agency, to match material balance of the waste generated in a financial year.

(9) (i) All producers shall meet their extended producer responsibility obligation through online purchase of extended producer responsibility certificates from registered recyclers irrespective of mode of deposition of waste;

(ii) The details provided by producers, recyclers and intermediate waste storage facility operators shall be cross-verified through the portal, and in case of any mismatch, the lower figure shall be considered as fulfilment of obligation by the producer; and

(iii) The extended producer responsibility certificates shall be subject to audit by the Central Pollution Control Board or any other agencies authorized by them in this regard.

(10) The proceeds from the transaction of extended producer responsibility certificates shall be shared equally (50:50) between the implementing agency and the recycler.

(11) The implementing agency shall refer the cases of violation and non-compliance to the concerned State or Union Territory Pollution Control Board or Committee for taking enforcement action, including levy of environmental compensation.

6. Extended Producer Responsibility Certificate Generation. – (1) The Central Pollution Control Board shall generate extended producer responsibility certificate through the portal in favour of a registered recycler, in the prescribed format, which shall be calculated as per the Table given here under –

Table

S. No.	**Mode of recycling.**	**Weightage allocated to the processing mode (W_P).**
(1)	(2)	(3)
1.	In –situ recycling	1.2
2.	Off site recycling	1

(2) For the purpose of the Table referred to in sub-rule (1)

i. The quantity of waste eligible for generation of extended producer responsibility certificate shall be calculated by the following formula namely;

$$*Q_{EPR} = Q_P \times C_F \times W_P$$

**the* Q_{EPR} *is the quantity eligible for generation of the certificate,* Q_P *is the quantity of the processed product and* C_F *is the conversion factor (quantity of waste required for production of one unit of output) and* W_P *is the Weightage allocated to the processing mode*

ii. Conversion factor C_F for each end product shall be determined by the Central Pollution Control Board, in consultation with recyclers, based on the technologies used and other factors;

iii. In case of multiple end products of recycling, the conversion factor for generation of extended producer responsibility certificate shall be determined as per the guidelines issued by the Central Pollution Control Board with the approval of the Steering Committee; and

iv. The weightage W_P shall be reviewed by the Central Pollution Control Board from time to time in view of the technological advancements, availability of material and other factors.

Example: If 100 Tonnes of processed waste product is produced, and end-product conversion factor is 0.8 then, the eligible EPR certificate for such conversion shall be as follows:

In-situ processing - $Q_{EPR} = 100 \times 0.8 \times 1.2 = 96$ *Tonnes;*

Off-site processing - $Q_{EPR} = 100 \times 0.8 \times 1 = 80$ *Tonnes;*

(3) The validity of the extended producer responsibility certificate shall be three years from the end of the financial year in which it is generated, and the expired certificate shall automatically cease to exist after its validity period, unless transacted earlier.

(4) Each extended producer responsibility certificate shall be identified with a unique number indicating its year of generation, recycler code, end-product code, and a distinct code, and shall be issued in weight denominations of 100, 200, 500 and 1000 Tons or as may be laid down by the Central Pollution Control Board, with the approval of the Steering Committee.

7. Transaction of extended producer responsibility certificate. – (1) A producer may purchase extended producer responsibility certificates limited to its extended producer responsibility liability of current year (Year Y) plus any leftover liability of preceding years plus 10 per cent of the current year liability.

(2) As soon as the producer purchases the extended producer responsibility certificate, it will be automatically adjusted against its liability, wherein priority in adjustment shall be given to past liability and the extended producer responsibility certificate so adjusted shall be automatically extinguished and cancelled.

(3) The availability, requirement and other details of the extended producer responsibility certificate for every producer and recycler shall be made available on the portal.

(4) All the transactions under extended producer responsibility framework shall be recorded and submitted by the producers and recyclers on the portal.

(5) The Central Government may by an order establish one or more platform for exchange or transfer of extended producer responsibility certificates in accordance with the guidelines issued by the Central Pollution Control Board with the approval of the Central Government.

(6) The operation of the platform established under sub-rule (5) shall be operated and regulated in accordance with guidelines made by the Central Government on the recommendation of the Central Pollution Control Board.

(7) The Central Pollution Control Board shall fix the highest and lowest price for exchange of extended producer responsibility certificates which shall be equal to hundred percent and thirty per cent, respectively of the environmental compensation for non-fulfilment of extended producer responsibility obligation under Schedule I.

(8) The exchange price of extended producer responsibility certificate between registered entities through the portal shall be between the highest and lowest prices referred to in sub-rule (7).

CHAPTER III

Utilization of Processed Waste

8. Waste Utilization Framework. – (1) A mandate for utilization of processed waste shall be implemented in all construction activities having built-up area of 20000 sq. mts. and above, and road construction.

(2) The waste utilisation framework shall be implemented through the online portal with mandatory registration of recyclers and occupiers of the construction or reconstruction or road construction projects, as the case may be.

(3) The local authority or development authority (implementing agency) shall implement waste utilisation framework in its jurisdiction for construction projects through the portal, as decided by the concerned State or Union Territory Government.

(4) The Central Pollution Control Board shall monitor the implementation of the waste utilisation framework through the portal in road construction activities covering national highways that do not fall under State/ Union territory jurisdictions.

(5) The concerned State or Union Territory Pollution Control Board or Committee shall monitor the implementation the waste utilisation framework through the portal in road construction activities covering highways and roads falling under the jurisdiction of the State Government or Union Territory Administration or District Authorities.

(5) The obligation to utilize processed waste in construction activities, and road construction shall be as per the targets specified in Schedule II and Schedule III, respectively

(6) The obligation to utilise waste in construction activities and road construction, shall be regulated by an approved waste utilisation plan, and the implementing agency shall be required to integrate its approval with the existing project approval process.

(7) The assessment of quantity of processed waste for use, in compliance to waste utilisation framework, shall be calculated as a percentage of total virgin or fresh construction material requirement by weight or volume, as the case may be, except wood, iron, metal, plastic, glass etc. requirement.

(8) Only debris derived processed waste viz. waste from cement concrete, bricks, cement plaster, stone, rubble, tiles etc. shall be considered for assessing compliance to the obligated targets, and the utilisation of other resalable/ reusable streams of waste like iron, wood, plastic, metal and glass shall not be considered for assessing compliance.

(9) The obligation of maintaining product quality as per notified standards, technical specifications, if any, shall lie with the recycler.

(10) No entity covered under waste utilisation framework shall carry out business with an unregistered entity.

(11) The occupier of construction activity and road construction shall have the primary responsibility to fulfil the waste utilization mandate, and in doing so, it may seek support from service provider, contractor, authorized agency, recycler, or other agencies approved by implementing agency for the purpose.

(12) Any exemption, either partial or complete, sought by an occupier from complying with the waste utilization mandate on technical or administrative grounds shall require prior approval of concerned implementing agency i.e. local authority or development authority or Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be, who is responsible for implementation of waste utilisation framework.

CHAPTER IV

Responsibility of Stakeholders

9. Responsibilities of the Waste Generator. – The waste generators shall be responsible for undertaking following measures for waste management:

1. collect and segregate waste to facilitate reuse and recycling into separate material streams viz. concrete, soil, bricks, steel, wood, plastics etc.;
2. store the waste and take measures for its recycling, either in-situ or channelize for off-site processing;
3. transport entire (100%) waste to collection points or intermediate waste storage facility or hand over waste to an authorized agency or recycler, as appropriate;
4. take measures to prevent air pollution, littering of waste and avoid public nuisance during collection, segregation, storage of waste;
5. comply with the orders and directions of the implementing and enforcement agencies.

10. Responsibilities of Producers. - The waste generators, categorised as producers, shall be additionally responsible to undertake the following measures for waste management:

1. register on the portal, and comply with all obligations given under these rules;

2. follow standard operating procedures, and measures prescribed by Central or State Pollution Control Board or Pollution Control Committees and implementing agency for environmentally sound management of waste;
3. undertake demolition in compliance with 'IS 4130: Safety code for demolition of buildings' or any other standard operating procedures and measures put in place by the implementing or enforcement agency for demolition;
4. prepare an integrated waste management plan, with prior approval of implementing agency, of all construction activities in a single jurisdictional area.

11. Responsibilities of Contractors, Service Providers and Authorized Agencies. - The contractors, service providers and authorized agencies shall be responsible for, -

(1) assisting the waste generator in channelization of waste from source to collection points or intermediate waste storage facility or processing facility for recycling;
(2) assisting the waste generator in meeting the obligation prescribed under extended producer responsibility and waste utilization framework, and providing services in strict compliance of these rules;
(3) coordinating with local authority, waste generators, recyclers and operators of intermediate waste storage facility to facilitate collection, storage, and despatch of waste to processing facility or intermediate waste storage facility, and sharing such information to implementing and enforcement agencies;
(4) implementing sustainable construction practices, including guidance on 'IS 15883: 2021 – Guidelines for Construction Project Management Part 11 Sustainability Management';
(5) putting adequate infrastructure in field for management of waste, impart training and create awareness among its employees and workers on environmental sound management of waste and utilization of processed waste;
(6) following standard operating procedures, and measures prescribed by Central or State Pollution Control Board or Pollution Control Committees and implementing agency for environmentally sound management of waste;
(7) compliance with the orders and directions of the implementing and enforcement agencies, including deposit of environmental compensation for non-compliances.

12. Responsibilities of Operators of Intermediate Waste Storage Facility. - The intermediate waste storage facility operator shall be responsible for, -

(1) registration on the portal, and payment of registration and other fee as may be prescribed under these rules;
(2) coordinating with local authority, waste generators, service providers and authorized agencies to facilitate receipt, storage, and despatch of waste at intermediate waste storage facility, and sharing such information to implementing and enforcement agencies;
(3) seeking prior permission from local authority or development authority before disposal of waste in low lying areas and for other purposes, excluding sanitary landfill facility;
(4) following standard operating procedures, and measures prescribed by Central or State Pollution Control Board or Pollution Control Committees and implementing agency;
(5) compliance with the orders and directions of the implementing and enforcement agencies, including deposit of environmental compensation for non-compliances;
(6) furnishing information on the portal for collation of data on receipt, storage and despatch of waste during preceding half year by 15th October and 15th April each year, and file annual returns in the form provided on the portal on or before 30th May following the financial year to which that return relates;
(7) complying with the responsibilities prescribed for 'Authorized agencies' under Rule 11, in case, the entity is engaged in collection and transportation of waste

13. Responsibilities of Recycler. - The recycler shall be responsible for, -

(1) registration on the portal, and payment of registration and other fee as may be prescribed under these rules;

(2) coordinating with local authority, waste generators, service providers, authorized agencies and end-users to facilitate receipt, storage, recycling and despatch of waste at processing facility, and sharing such information to implementing and enforcement agencies;
(3) seeking prior permission from local authority or development authority before disposal of waste in low lying areas and for other purposes, excluding despatch of recycled material to end-users;
(4) following standard operating procedures, and measures prescribed by Central or State Pollution Control Board or Pollution Control Committees and implementing agency;
(5) meeting the standard requirements of product quality and technical specifications in respect of recycled products, or end-user requirements, as may be applicable
(6) disposal of rejects or inert material after recycling to the nearest sanitary landfill facility as per the guidelines issued by the Central Pollution Control Board;
(7) compliance with the orders and directions of the implementing and enforcement agencies, including deposit of environmental compensation for non-compliances;

(8) furnishing information on the portal for collation of data on receipt, storage, recycling and despatch of waste during preceding half year by 15th October and 15th April each year, and file annual returns in the form provided on the portal on or before 30th May following the financial year to which that return relates;

(9) complying with the responsibilities prescribed for 'Authorized agencies' and 'Intermediate Waste Storage Facility Operator', as appropriate, in case the entity is engaged in collection and transportation of waste, and operating an intermediate waste storage facility

14. Responsibilities of Central Government. – (1) All Ministries, departments, institutes, and organisations falling under the administrative control of Central Government shall be responsible for undertaking construction activities in compliance to these rules by aligning the conditions of tender documents, expression of interest, request for proposal etc.

(2) The Ministry of Housing and Urban Affairs shall undertake the following:

(i) Progressively update the 'schedule of rates' to include processed waste products and articles through the Central Public Works Department;

(ii) Sensitise local authorities engaged in Swachha Bharat Mission (urban) for management of construction and demolition waste;

(iii) Align the provisions of model building bye laws relating to issue of building plan permits, demolition permits, and completion certificate to provisions of these rules;

(iv) Incorporate reasonable compliance to these rules as a pre-requisite in performance evaluation and rating of local authority under various programmes.

(3) The Ministry of Road, Transport and Highways shall undertake measures, including encouraging research, to promote utilisation of construction and demolition waste in road construction projects, and develop associated technical specifications, guidance manuals for such usage.

(4) The Ministry of Rural Development, Ministry of Panchayati Raj and Ministry of Jal Shakti, though Department of Drinking Water and Sanitation, shall undertake awareness activities and programs to sensitise population in rural areas for management of construction and demolition waste, and implementation of the provisions of these rules.

(5) The Ministry of Commerce and Industry shall take measures to facilitate the listing of processed waste articles on Government E-marketplace.

(6) The Ministry of Finance shall explore supportive fiscal measures to increase competitiveness of recycled waste material vis-à-vis virgin construction material.

15. Responsibilities of Central Pollution Control Board. - The Central Pollution Control Board shall be responsible for-

(1) Setting up, operation and maintenance of the portal, and monitoring compliance of extended producer responsibility framework;

(2) Ensuring functionality of the portal within six months from the date of notification of these rules, registration of entities, and implementation of the extended producer responsibility and waste utilisation framework in online manner;

(3) Monitoring implementation of the waste utilisation framework in road construction, as prescribed under these rules;

(4) Fulfilling responsibilities assigned under these rules, including issuance of extended producer responsibility certificate;

(5) Coordination with the agencies to Central and State or Union Territory Government for smooth implementation of these rules;

(6) Framing and implementing Guidelines and Standard Operating Procedures on the following-

(a) 'implementation of extended producer responsibility framework' covering registration on the portal, approval of waste management plan, extended producer responsibility certificate generation, transfer or exchange of certificates, fulfilment of obligation, returns etc;

(b) 'Implementation of waste utilization framework' covering registration of projects, approval of waste utilization plan, exemption from waste utilization, fulfilment of obligation, returns etc;

(c) 'Environmentally sound management of waste' covering collection, storage, transportation, recycling and disposal of waste, and any other aspects.

(7) Preparing online forms and returns, as may be required for implementation of these rules, to facilitate flow of information from registered entities;

(8) Enforcement of these rules, and conduct random checks to assess compliance of the registered entities and for that purpose the Board may take help of the State Government or any other agency

(9) Documentation, compilation of data on waste and processed waste, and submission of an annual report to the Central Government;
(10) Taking action against violation and non-compliance of these rules;
(11) Conducting training programmes to develop capacity building including the State Pollution Control Board and Urban Local Bodies officials of State Governments;
(12) Conducting awareness programmes;
(13) Integration of all stakeholders with the centralised digital system;
(14) Any other function delegated by the Central Government under this Chapter from time to time.

16. Responsibilities of Bureau of Indian Standards and Indian Roads Congress. – The Bureau of Indian Standards and Indian Roads Congress shall be responsible for preparation of code of practices and standards for use of recycled materials and products of construction and demolition waste in respect of construction activities and the role of Indian Road Congress shall be specific to the standards and practices pertaining to construction of roads.

17. Responsibilities of State Government or Union Territory Administration, local authority or development authority, and the State and Union Territory Pollution Control Board or Committee. – (1) The Urban Development and Municipal Administration department of the State or Union Territory Government or other departments authorized to take action shall be responsible for-

(a) formulation and implementation of waste management policy, and issuance of directives for management of waste and utilization of processed waste in its jurisdiction, duly aligned with these rules;
(b) supporting local authorities in identification and setting up of intermediate waste storage facilities and processing sites on local or regional or cluster basis within a year of notification of these rules, and monitoring implementation of these rules;
(c) directing departments, institutes, and organisations falling under their administrative control to undertake construction activities in strict compliance to these rules by aligning the conditions of tender documents, expression of interest, request for proposal etc;
(d) supporting and supervising agencies of the State or Union Territory to:

(i) Assess quantum of waste to be managed;

(ii) Approve waste management and waste utilization plans in timely manner;

(iii) Levy environmental compensation from non-compliant construction activities; and

(iv) Undertake effective monitoring;

(e) inclusion of processed waste articles and materials in the state-specific ‘Schedule of rates’;

(f) taking measures for registration, skill development, safe operating conditions and routine health monitoring of construction and demolition workers

(2) The local or development authority, as appropriate, shall be responsible for

(a) issuing directions to facilitate implementation of these rules;

(b) referring cases of violation and non-compliance to State or Union Territory Pollution Control Board or Committee;

(c) alignment of local byelaws to these rules;

(d) timely grant of approvals to waste management and utilization plans in online mode;

(e) putting mandatory conditions in tenders, expression of interests, request for proposals, work orders etc. for compliance of extended producer responsibility and waste utilization framework;

(f) establishment of processing facility or integrated waste storage facilities or both, in the jurisdiction or cluster or regional basis, within a year of notification of these rules;

(g) setting up collection points to facilitate waste collection from source;

(h) facilitating registered entities to transport and store waste enabling its recycling through an in-situ mode or processing facility;

(i) taking measures for management of legacy or orphan waste;

(j) implement an offtake plan, if required, for utilization of waste from processing facility;

(k) seeking information from registered entities and other stakeholders;

(l) submitting annual report to the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, in a format laid down Central Pollution Control Board.

(3) The State or Union Territory Pollution Control Board or Committee, shall be responsible for-

(a) enforcement of these rules;
(b) implementation of the waste utilisation framework in road construction, as mandated under these rules;
(c) monitoring the compliance of extended producer responsibility and waste utilisation framework;
(d) coordination with the Central Pollution Control Board, local authority, State or Union Territory Public Works Department, and District Authorities for smooth implementation of these rules;
(e) inventorisation of waste, including legacy waste, in its jurisdiction;
(f) taking action on all cases of violation and non-compliance of these rules, including levy of environmental compensation, in accordance with guidelines of Central Pollution Control Board;
(g) undertake gap-analysis i.e. assessment of waste generated vis-à-vis processing capacity available to decide on requirement of new facilities;
(h) undertake programs to create mass awareness through training of stakeholders on waste management, utilisation and adoption of sustainable construction approaches;
(i) submission of annual report to Central Pollution Control Board, in a format laid down by it.

CHAPTER-V

WASTE STORAGE AND PROCESSING REQUIREMENTS

18. Procedure for Storage of waste and processed waste – (1) The local authority shall establish collection points in its jurisdiction for channelization of waste from source to processing facility or intermediate waste storage facility.

(2) The intermediate waste storage facility shall be established by a local authority in following cases:

(i) Non-existence of a functional processing facility in the jurisdiction; and

(ii) Storage space constraints with the functional processing facility.

(3) Intermediate storage of waste provided due to storage space constraints with the processing facility shall be allowed for a duration of 120 days, extendable to 180 days, with prior approval of implementing agency.

(4) Establishment and operation of new processing facilities or intermediate waste storage facility in a jurisdiction shall require prior mandatory registration on the portal before commencement of operations.

(5) All processing facilities and intermediate waste storage facilities shall follow the guidelines and standard operating procedures prepared by Central Pollution Control Board, and State or Union Territory Pollution Control Board Committees for environmentally sound management of waste.

(6) Adequate measures shall be taken by processing facilities and intermediate waste storage facilities to avoid of public nuisance, prevent air pollution, and unscientific waste disposal.

(7) Non-adherence to the prescribed stakeholder responsibilities and rule provisions by processing facilities and intermediate waste storage facilities shall amount to violation and non-compliance, and result in action, including levy of environmental compensation.

CHAPTER-VI

ENVIRONMENTAL COMPENSATION

19. Environment Compensation. - (1) The Central Pollution Control Board shall lay down guidelines for imposition and collection of environmental compensation on entities in case of violations of these rules and guidelines as per sub rule (4) below and the said guidelines shall be in accordance with these rules and shall be approved by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(2) The environmental compensation shall also be levied on unregistered producers, recyclers, operators of waste storage facilities, occupiers of construction and reconstruction projects, and any entity, which aids or abets the violation of extended producer responsibility and waste utilisation framework.

(3) The Central Pollution Control Board and State Pollution Control Board or Union Territory Pollution Control Committees shall be authorised to levy environmental compensation in accordance with these rules.

(4) Environmental compensation shall be levied in below-mentioned cases of non-compliances and violations under extended producer responsibility and waste utilization framework:

(i) Recycler - issuing false certificates, providing false information, and dealing with unregistered entities;

(ii) Producers - non-adherence to the targets prescribed under extended producer responsibility framework, and dealing with unregistered entities;

(iii) Occupiers of construction or re-construction activity - non-adherence to the targets prescribed under waste utilization framework, and dealing with unregistered entities;

(iv) Operator of Integrated Waste Storage Facility - providing false information, and dealing with unregistered entities

(v) Local authority – non-establishment of integrated waste storage facility or processing facility with one year of notification of these rules.

(5) (i) Payment of environmental compensation shall not absolve the producer from the extended producer responsibility as specified in these rules and the unfulfilled extended producer responsibility for a particular year shall be carried forward to the next year and so on and up to three years.

(ii) In case, the shortfall of extended producer responsibility obligation is addressed after one year, 85 per cent of the environmental compensation levied shall be returned to the producer.

(iii) In case, the shortfall of extended producer responsibility obligation is addressed after two year, 60 per cent of the environmental compensation levied shall be returned to the producer, and and in case, the shortfall of extended producer responsibility obligation is addressed after three year, 30 per cent of the environmental compensation levied shall be returned to the producer, thereafter no environmental compensation shall be returned to the producer.

(6) False information resulting in over generation of extended producer responsibility certificates by recycler shall result in revocation of registration and imposition of environmental compensation which shall not be returnable and repeat offence, violations as per sub rule (4) for three times or more shall also result in permanent revocation of registration over and above the environmental compensation charges.

(7) (i) The funds collected under environmental compensation shall be kept in a separate escrow account by the Central Pollution Control Board, and the funds collected shall be utilized in collection and recycling of uncollected, legacy, orphaned waste and non-recycled waste on which the environment compensation is levied, research and development, incentivising recyclers, financial assistance to local bodies for managing waste management projects and on other heads as decided by the committee.

(ii) The modalities and heads for utilisation of the funds shall be decided by the Steering Committee with the approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

CHAPTER VII

MISCELLANEOUS

20. Reporting and Information sharing. - (1) The local authority shall submit an annual report to State or Union Territory Pollution Control Board or Committee, in a format laid down by the Central Pollution Control Board, by April 30 each year indicating the status of implementation of these rules in its jurisdiction during the preceding financial year.

(2) The State or Union Territory Pollution Control Board or Committee shall submit an annual report to the Central Pollution Control Board, in a laid down format, by May 30 each year indicating the status of implementation of these rules in the State or Union territory during the preceding financial year.

(3) The Central Pollution Control Board shall examine and analyse the reports received from the States and Union Territories, and submit a report to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change by June 30 each year indicating the status of implementation of these rules in the country during the preceding financial year.

(4) The entities registered under the extended producer responsibility framework shall furnish information on the portal for collation of data on receipt, storage, recycling and despatch of waste during preceding half year by 15th October and 15th April each year.

21. Accident Reporting. - Where an accident occurs during collection, transportation, storage or processing of waste, the authorized person representing the entity viz. waste generator, authorized agency, integrated waste facility operator or recycler, as the case may, shall report immediately or within 24 hours about the incident to the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee through telephone and e-mail.

22. Verification and audit. – (1) The Central Pollution Control Board by itself or through a designated agency shall undertake the compliance assessment of concerned entities frameworks to the frameworks on extended producer responsibility, waste utilisation, and other provisions of these rules through inspection and periodic audit, as deemed appropriate, and take actions against violations under rules of this Chapter

(2) Any fee for the verification and audit shall be charged by the Central Pollution Control Board from the concerned entity.

23. Constitution of Steering and Monitoring Committee. - (1) There shall be a Steering Committee headed by the Chairperson, Central Pollution Control Board to oversee the implementation of these rules, including extended producer responsibility and waste utilisation framework under this Chapter, which shall consists of following members, namely: -

i. One representative each from of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Housing and Urban Affairs, Ministry of Road, Transport and Highways, Ministry of Panchayati Raj, Ministry of Rural Development, Ministry of Road Transport and Highways, Ministry of Jal Shakti, and NITI Aayog;

ii. One representative each from Bureau of Indian Standards, Indian Roads Congress National Council of Cement and Building Materials, Central Road Research Institute, National Council of Building Materials;

iii. Two Representatives each from Real Estate Sector, Infrastructure Sector, and Recycling Industry;

iv. One Representative each from any three State Governments on rotation basis;

v. One Representatives each from any three State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees on rotation basis;

vi. Co-opted Members and special invitees – as may be deemed appropriate by the Central Pollution Control Board for conducting the business of the Committee;

vii. Concerned Divisional head from CPCB;

viii. Member Secretary, Central Pollution Control Board - Member Convener.

(2) There shall be a Monitoring Committee at State or Union Territory level with representations from the following state departments /agencies:

i. Department of Environment, Forest and Climate Change;

ii. Department of Urban Development and Municipal Administration;

iii. Department of Road and Transport;

iv. Department of Rural Development and Panchayat;

v. Department of Land Management and Revenue;

vi. State Level Representatives from Real Estate, Infrastructure Sector, and Recycling Industry;

vii. Representatives from three Urban Local bodies of the State co-opted by the Chairman, Monitoring Committee;

viii. Co-opted Members – as may be deemed appropriate by the Monitoring Committee for conducting the business of the Committee;

ix. Member Secretary, State Pollution Control Board or Pollution Control Committee - Member Convener.

(3) The Steering Committees shall decide upon the disputes arisen from time to time on the representations received in this regard, and shall refer to the Central Government any substantive issue arisen or pertaining to this Chapter.

(4) The Steering Committee shall review and revise the targets, weightage and permissibility of modes of recycling in view of the technological advancements and other factors and make recommendations to the Central Government.

(5) The Steering Committee shall take all such measures, as it deems necessary for proper implementation of the provisions of this Chapter.

(6) The Steering Committee shall be responsible for overall monitoring and supervision of implementation this Chapter.

24. Appeal.

(1) Any person or entity aggrieved by an order made by the prescribed authority under these rules may, within a period of thirty days from the date on which the order is communicated to him, prefer an appeal in prescribed form to the Secretary In-charge (Environment) of the State Government or Union Territory Administration.

(2) Any person or entity aggrieved by an order relating to imposition of penalty or environmental compensation under these rules, and which is also upheld by the first appellate authority as per sub-rule (1) above, may prefer a second appeal within a period of thirty days from the date of decision of the first appellate authority. The appeal may be filed with the concerned Additional Secretary or Joint Secretary of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India, duly accompanied with the proof of deposit of 20% of the quantum of the penalty or environmental compensation, which would be refunded, in case, the decision of appeal comes in favor of the appellant.

(3) The Appellate Authority referred to in sub-rule (1) and (2) may entertain the appeal after expiry of the said period of thirty days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(4) The appeal shall be replied or disposed of within a period of 60 days from its receipt in the office of appellate authority.

25. Prosecution. - Any person, who provides incorrect information required under these rules for obtaining extended producer responsibility certificates, uses or causes to be used false or forged extended producer responsibility certificates in any manner, willfully violates the directions given under these rules or fails to cooperate in the verification and audit proceedings, may be prosecuted under section 15 of the Act, 1986 and this prosecution shall be in addition to the environmental compensation levied under rule 16.

26. Power to remove difficulties.

The Steering Committee shall examine issues leading to difficulty in smooth implementation of these regulations and have the power to remove any such difficulty, and may refer any such issues, as deemed fit, for consideration of the MoEFCC.

Schedule I

[See Rule 4(3)]

Targets for recycling of waste as per

Extended Producer Responsibility framework

Year	Re-construction Projects	Demolition Projects
2025-26	50%	50%
2026-27 onwards	100%	100%

Schedule II

[See Rule 8(5)]

Minimum targets for utilisation of waste in construction and re-construction

activities as per Waste Utilisation Framework for building construction

Year	Waste Utilization Mandate
2026-27	5%
2027-28	10%
2028-29	15%
2029-30	20%
2030-31 and onwards	25%

Note: 1. *Direct produce of construction and demolition waste are (i) Fine aggregates, (ii) Recycled Concrete Aggregates (size 5-10 mm, 10-20 mm, 20-40 mm or as required); (iii) Recycled Aggregates (5-10 mm, 10-20 mm, 20-40 mm or as required), and (iv) Manufactured soil;*

2. Downstream products manufactured by using recycled C&D waste are (i) Bricks, blocks, tiles, hollow bricks, wall tiles;

(ii) Pavers, kerb stones; (iii) Park benches, drain covers, planters, compound wall, fence post, tree guards, tree pit covers, manhole covers, underground cable covers, pre-cast boundary wall panels and poles, etc.

Schedule III

[See Rule 8(5)]

Minimum targets utilization of waste in road construction

Year	Waste Utilization Mandate
2026-27	5%
2027-28	5%
2028-29	10%
2029-30	10%
2030-31 and onwards	15%

Note: 1. As per IRC:121-2017, Recycled aggregates and Recycled concrete aggregates derived from construction and demolition waste, after processing, can be used in road construction applications like: (i) embankments, including earthen embankments (as fill material); (ii) flexible pavements (as granular sub-base, cement stabilised base, sub-base course); concrete pavements (in dry lean concrete, roller compacted concrete, plain cement concrete, and (iv) paving blocks and kerb stones; and

2. The powdered C&D waste, produced as a result of crushing during production of aggregates, can be utilised as sub-base material after cement stabilization to me technical requirements like gradation, strength, water absorption, soundness etc.

[F. No. HSM-12/152/2022-HSM]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

S

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA